भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3765

23 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

नगर निगम के पुराने कचरे का ढेर

3765. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों और नगरों के पास अगले चार वर्षों में लगभग 48.2 करोड़ टन नगर निगम के पास जमा कचरे के ढेर को पूरी तरह से शोधित करने का कार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे निजात पाने के लिए अक्तूबर, 2021 में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) 2.0 शुरू किया है:

(ग) यदि हां, तो यह मिशन अपने लक्ष्य को पूरा करने में किस हद तक सफल रहा है:

(घ) आज की तारीख के अनुसार नगर निगम के पुराने कचरे के ढेर का शोधन करने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों के परामर्श से एसबीएम को सफल बनाने के लिए नगर निगम के पास जमा कचरे के ढेर का शोधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क), (ख) और (ङ): स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित अपशिष्ट के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति हासिल किए जाने के विजन के साथ 1 अक्टूबर, 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 1 अक्टूबर, 2021 को शुरु

किया गया है। इसका उद्देश्य सभी पुराने डंपसाइटों का शोधन करना और उन्हें हरित क्षेत्र में परिवर्तित करना भी है। अब तक पुराने अपशिष्ट डम्पसाइट्स के शोधन पर केंद्रीय हिस्से (सीएस) की सहायता के 3226 करोड़ रुपये की राशि की कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। लैंडफिल रिक्लेमेशन पर राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को एक परामर्शिका भी जारी की गई है, जिसे यहां देखा जा सकता है;

https://sbmurban.org/storage/app/media/pdf/SBM%20Advisory%20on%20Landfill%20Reclamation.pdf

(ग) और (घ): शोधित पुराने नगरपालिका अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

<u>23.03.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

क्र.सं.	**राज्य**	**शोधित स्थलों की संख्या**	**पुराने शोधित अपशिष्ट (लाख टन में)**
1	आंध्र प्रदेश	2	8.52
2	बिहार	1	0.05
3	छत्तीसगढ	7	3.15
4	गोवा	2	0.08
5	गुजरात	12	10.99
6	हरियाणा	22	25.27
7	जम्मू और कश्मीर	1	1.7
8	झारखंड	1	0.35
9	मध्य प्रदेश	53	8.73
10	महाराष्ट्र	52	134.82
11	ओडिशा	2	2.03
12	पंजाब	2	1.76
13	राजस्थान	8	0.61
14	तमिलनाडु	86	34.54
15	तेलंगाना	2	120.5
16	त्रिपुरा	1	0.2
17	उत्तर प्रदेश	14	21.52
	कुल	**268**	**374.82**

*****